तारीख हुक्म		हुक्म में
25/3/21	वादावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं। न ही अधिवक्ता प्रतिवादी हाजिर। न ही उभयपक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि हाजिर। न्यायालय समय समाप्त एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को पृथक पृथक कक्ष कक्ष कर आवाज लगवाई गई किन्तु अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजिर नहीं। अतः अधिवक्ता वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 R.T.A/1955 [illegible] अग्रिम पेशी। अग्रिम हाजरी का [illegible] किया जाता है। वादावली में रवाना किया जाता है। की गणना निर्धारित दिनांक की जाकर वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.06.07 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
राशमी

Scanned by CamScanner